Date : 2 नवंबर 2022

ई रुपया पायलट प्लान

ई रुपया पायलट प्लान

संदर्भ- हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की कि थोक खण्ड में ई रुपया का पहला पायलट प्लान 1 नवम्बर 2022 से सरकारी प्रतिभूतियों में शुरु होगा।

डिजिटल रुपया- यह किसी देश की मुख्य मुद्रा का डिजिटल रूप है। इसे केंद्रीय बैंक द्वारा जारी व विनियमित किया जा सकता है। इसमें वित्तीय समावेशन के साथ भुगतान दक्षता बढ़ती है।
आरबीआई के अनुसार ई रुपया पयलट प्लान के लिए 9 बैंकों की पहचान की गई है।

- भारतीय स्टेट बैंक,
- बैंक ऑफ बड़ौदा,
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया,
- एचडीएफसी बैंक,
- आईसीआईसीआई बैंक,
- कोटक महिंद्रा बैंक,
- यस बैंक,

- आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और
- एचएसबीसी

डिजीटल रुपये की आवश्यकता- क्रिप्टोकरंसी के बढ़ते महत्व के कारण भारत में डिजिटल रुपये को आगे बढ़ाने के लिए डिजिटल रुपये की आवश्यकता होती है।

- ब्लॉकचेन की तकनीक के साथ डिजीटल रुपये का प्रयोग
- लेनदेन लागत को कम करने के लिए,
- रियलटाइम खाता निपटान
- विदेशों लेनदेन में तेजी लाने के लिए
- खुदरा व थोक विक्रेताओं के लिए भुगतान प्रणाली हर समय उपलब्ध हो।
- अस्थिरता के जोखिमों को कम करने के लिए,
- करेंसी नोटों की तुलना में डिजीटल रुपये की गतिशीलता अधिक होती है, अतः भारतीय मुद्रा की गतिशीलता बढ़ाने के लिए।

डिजीटल रुपया और क्रिप्टो करेंसी में अंतर

डिजीटल रुपया, केंद्रीय बैंक द्वारा जारी एक कानूनी निविदा है। जो फिएट मुद्रा क समान विनिमय योग्य है। क्रिप्टोकरंसी के विपरीत यह किसी भी वस्तु या डिजीटल संपत्ति का दावा नहीं करती है। यह कागजी मुद्रा का डिजीटल रूप होगा, जिसे नकदी के साथ विनिमय किया जा सकेगा।

डिजीटल मुद्रा के विपरीत क्रिप्टोकरंसी का कोई जारीकर्ता नहीं है, इसलिए यह कोई मुद्रा नहीं है। क्रिप्टोकरंसी एक प्रकार की विकेंद्रित सम्पत्ति है जो डिजीटल सम्पत्ति का दावा करती है

डिजिटल रुपया	क्रिप्टोकरंसी
डिजीटल रुपये को केंद्रीय बैंक जारी करता है,	क्रिप्टोकरंसी का कोई जारीकर्ता नहीं है। अतः यह निश्चित रूप से मुद्रा नहीं है।
कागजी मुद्रा के समान कार्य।	डिजीटल संपत्ति का दावा करने योग्य।
विनिमय योग्य।	यह विकेंद्रित संपत्ति है।

डिजीटल रुपया और भारतीय अर्थव्यव्यवस्था

- खुदरा व थोक विक्रेताओं के लेनदेन में आसानी होने से विक्रेताओं के कार्यों में गतिशीलता आएगी।
- व्यापार में बिचौलियों की
- विदेशी लेनदेन के लिए सीमाओं पर धन हस्तानांतरण व विदेशी मुद्रा में बदलने में लगने वाले समय व में कमी आएगी।
- व्यापार में धन के प्रबंधन व संचालन को अधिक सहज बनाने की संभावना व्यक्त की जा रही है।

चुनौतियाँ-

- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका केवल बैंकों द्वारा ही इस्तेमाल होगा जिससे इसकी स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीमित हो सकती है।

- चीन द्वारा डिजीटल युआन को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है युआन के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनने के बाद यह भारतीय अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर सकता है।
- डिजीटल रुपये का फोकस सभी को वित्तीय सेवाओं के दायरे में लाना है। यह प्रणाली वर्तमान में अधिकांश उन खुदरा सीबीसीडी पर फोकस करेगी जो वित्तीय सेवाओं से बाहर हैं।

गुंजन जोशी

मोरबी ब्रिज आपदा

मोरबी ब्रिज आपदा

संदर्भ- हाल ही में 30 अक्टूबर 2022 को गुजरात के लगभग डेढ़ सौ वर्ष पुराने पुल टूटकर गिर गया, जो एक विनाशकारी आपदा सिद्ध हो रही है।

- पुल के क्षतिग्रस्त होने से 34 बच्चों सहित 135 लोगों की जान चली गई।
- आपदा, प्राकृतिक या मानव निर्मित।

मोरबी ब्रिज-

- भारत के गुजरात राज्य के मोरबी जिले में मच्छु नदी में स्थित है।
- गुजरात के राजा वाघजी ठाकोर ने 1863 में झूला पुल का निर्माण करवाया था।
- इस ब्रिज के निर्माण के लिए इंग्लैण्ड से सामग्री का आयात करवाया गया था। उस समय इस पुल की लागत 3.5 लाख रुपया थी।
- वर्तमान में ऐतिहासिक विशेषताओं के कारण यह पुल गुजरात टूरिज्म की लिस्ट में शामिल किया गया है।

आपदा, प्राकृतिक या मानवनिर्मित – पुल के गिरने के बाद पुल के ढहने के कारणों पर विवाद उत्पन्न हो गया है कि ये आपदा प्राकृतिक है या मानवनिर्मित।

- **प्राकृतिक आपदा**, प्राकृतिक परिवर्तनों के कारण होने वाली दुर्घटना है जिससे मानव को जनधन की हानि हो सकती है। जैसे – भूकंप, सूनामी, हिमस्खलन, बाढ़ आदि।

- **मानवनिर्मित आपदा**, वे आपदाएँ जो मानव गतिविधियों के कारण सम्पन्न हो सकती है। जैसे भोपाल गैस त्रासदी, युद्ध, आतंकवादी हमला।

द हिंदू के अनुसार हाल ही में पुल का नवीनीकरण किया गया था और पुल के ध्वस्त होने से कुछ समय पूर्व ही पुल को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया था। क्योंकि पुल की मरम्मत होने पर ही पुल को खोला गया था इसलिए पुल की मरम्मत व प्रबंधन में लापरवाही की सम्भावना बढ़ जाती है। जो मानवनिर्मित आपदा का संकेत देती है।

पुल के ध्वस्त होने के कारण-

पुल के पुनर्निर्माण में लापरवाही- अनुभवहीन कम्पनी को पुनर्निर्माण के कार्य का दायित्व देना।

पुनर्निर्माण के बाद सुरक्षा जाँच किए बिना पुल को पर्यटकों के लिए खोल देना।

पुल में भारवहन क्षमता से अधिक पर्यटकों को प्रवेश की अनुमति- आपदा के समय पुल में भारवहन क्षमता से अधिक पर्यटक उपस्थित थे, जिससे नुकसान में बढ़ोतरी होती चली गई। जैसे केदारनाथ त्रासदी के समय हुआ था।

सुरक्षा प्रबंधन का अभाव- पर्यटक क्षेत्रों में दर्शनीय स्थलों व पर्यटकों की सुरक्षा हेतु कोई व्यवस्था नहीं है। हाल ही में हुई सियोल की घटना इसका एक अन्य उदाहरण है जहाँ पर्यटकों की भीड़ के प्रबंधन के कोई इंतेजामात नहीं किए गए थे।

तत्कालीन कार्यवाही-आपदा के समय तुरंत राहत व बचाव कार्य के लिए भारतीय सशस्त्र बल जिसमें भारतीय सेना, वायु सेना व नौसेना के साथ एसडीआरएफ, एनडीआरएफ व दमकल द्वारा राहत कार्य किया जा रहा है।

देश के प्रधानमंत्री ने मृत परिवारों को 2लाख रुपये व घायलों को 50000 रुपये देने की घोषणा कीहै।

दीर्घकालिक कार्यवाही- पुलिस ने नौ लोगों को गिरफ्तार किया है जिसमें ओरेवा ग्रुप कम्पनी के टिकट कलेक्टर व ब्रिज कांट्रेक्टर शामिल हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार पुल की दुर्घटना ग्रस्त होने की सम्पूर्ण जांच की जाएगी।

आगे की राह-

- देश में पर्यटक स्थलों व तीर्थस्थलों की सुरक्षा की जांच की जानी चाहिए।
- नियमित रूप से पर्यावरण की स्थिति की समीक्षा कर पर्यटक स्थलों का प्रबंधन करना चाहिए।
- पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील स्थानों में बुनियादी ढांचों जैसे सड़क व पुल की व्यवस्था भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप करनी चाहिए।
- यात्रियों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए।
- पर्यटन से जुड़े प्रचार अभियानों में पर्यटन के साथ सुररक्षा संबंधी जानकारी भी शामिल होनी चाहिए।

गुंजन जोशी

YOJNA IAS
yojnaias.com